न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी—

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
40 / अपील / 18	30.01.2018	12.03.2021

कल्याण आ0 चौखा जाति रेगर निवासी ग्राम जाखोली कला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—अपीलान्ट

बनाम

1. ईश्वर लाल आ0 नन्दा जाति गुर्जर निवासी ग्राम जाखोली कला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय हिण्डोली जिला बून्दी।

—रेस्पोडेन्ड

उपस्थित—

अपीलान्ट की ओर से श्री रामकैलाश नागर एड0
रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही
रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार हिण्डोली द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 161 दिनांक 16.07.2007 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरंकरण से अपीलांट की कृषि भूमियों को सिवायचक किया गया है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या 1 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 16.02.2021 को रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम जाखोली कलां पटवार हल्का नेगढ तहसील हिण्डोली में भूमि खसरा संख्या 509 रकबा 11 बिस्वा, 510 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 640 / 500 रकबा 3 बीघा, 642 / 511 रकबा 13 बिस्वा, 643 / 513 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 7 बिस्वा भूमि अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त भूमियों में अपीलांट एवं अपीलांट का भाई जोधा काश्त करते चले आ रहे थे। अपीलांट का भाई जोधा अविवाहित फौत हो जाने से संपूर्ण भूमि अपीलांट के खाते में दर्ज हो गई थी। अपीलांट ने रेस्पो0 संख्या 1 के उक्त भूमियां 1 लाख रूपये में रहन रखी थी। रेस्पो0 सख्या 1 छलपूर्वक वर्ष 2007 में अपीलांट को तहसील कार्यालय हिण्डोली में ले गया और कहा कि रहन का स्टाम्प लिखवाना है। रहन के बहाने अपीलांट की कृषि भूमियों का समर्पण करवाकर भूमियों को सिवायचक दर्ज करवा दिया गया। अपीलांट एक अनपढ़ व्यक्ति है जो अंगूठा निशानी ही करता है। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा बिना जांच किये बिना सुनवाई के उक्त भूमियों को विवादित नामान्तरकरण से

अति. जिला कलक्टर

6/2

...वक कर दिया गया है। अपीलांट उक्त कृषि भूमियों के अलावा कोई अन्य भूमियां ...है। विवादित नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को 08.01.2018 को नकल लेने हेतु पटवारी हल्का के पास जाने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमियां सिवायचक दर्ज हो चुकी है। दिनांक 09.01.2018 को नकल हेतु आवेदन करने पर नकल दिनांक 19.01.2018 को प्राप्त हुई। दिनांक 23.01.2018 को श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। विवादित नामान्तरकरण की जानकारी से अपील प्रस्तुत करने की अवधि को मुजरा किया जावे। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर विवादित नामान्तरकरण खारिज फरमाया जावे।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पारित आदेश विधि अनुकूल है। अपीलांट ने स्वयं तहसील में उपस्थित होकर भूमियों का समर्पण किया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना उचित समझते है,जहां अपील में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर गुजरी अवधि को मुजरा किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपनी कृषि भूमियों का समर्पण करने से विवादित नामान्तरकरण तहसीलदार हिण्डोली द्वारा तस्दीक किया गया है। वकील अपीलांट का यह कथन हैं कि अपीलांट अनपढ़ किसान है जो अंगूठा निशानी करना जानता है। प्रस्तुत अपील एवं वकालतनामा में भी अपीलांट की अंगूठा निशानी अंकित है जिससे यह प्रमाणित होता हैं कि अपीलांट कानून की अनभिज्ञता तो रखता ही हैं साथ ही साक्षर भी नहीं हैं। रेस्पो0 संख्या 1 बावजूद सूचना के इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इस बात को बल मिलता हैं कि समर्पण कार्यवाही का कृत्य बिना अपीलांट की जानकारी के करवाया गया हैं जो प्रथमदृष्टया संदिग्ध प्रतीत होता है।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 161 दिनांक 16.07.2007 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए विधिक जांच कर नियमों में निहित प्रावधानुसार नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)